

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ- 69/1/सा.प्र.वि. /20/ 566

भिलाई, दिनांक 11.08.2020

//आदेश//

श्री वकील अहमद आ0 हाजी खलील अहमद, वाहन चालक की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 15.08.2020 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 31.08.2020 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपायुक्त
सामान्य प्रशासन विभाग
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ- 69/1/सा.प्र.वि./20/ 567
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 11.08.2020

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त 02, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जून आयुक्त जून क्रमांक 04, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
10. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. श्री वकील अहमद आ0 हाजी खलील अहमद, वाहन चालक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

उपायुक्त
सामान्य प्रशासन विभाग
नगर पालिक निगम
भिलाई